संख्या- 116/2023/1716/छप्पन-2023-12/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023

विषय: जनपद गोरखपुर के नये एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नये एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किये जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर कराए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 663/एम0ई0एस0 गोरखपुर/तकनीकी सेल/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के क्रम में अपने पत्रांक-230/आर0सी0एस0-2022-जी-1/2019 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर नए सिविल इन्क्लेव/टर्मिनल के विकास/निर्माण के अन्तर्गत गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन के एम0ई0एस0 आफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 10351.69 लाख (रूपए एक अरब तीन करोड़ इक्यावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा ई0पी0सी0 मोड से सम्बन्धित निर्धारित व्यवस्था, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा सुसंगत मद में उपलब्ध धनराशि के आलोक में, आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर नए सिविल इन्क्लेव/टर्मिनल के विकास/निर्माण के अन्तर्गत गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन के एम0ई0एस0 आफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 10351.69 लाख (रूपए एक अरब तीन करोड़ इक्यावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रू0 2587.9225 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ सत्तासी लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) (यदि लागू हो तो), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/ 75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) प्रायोजना का भविष्य में कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(13) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। अत: प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रायोजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वायु सेना स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(16) प्रायोजनान्तर्गत पावर कनेक्शन हेतु रू0 201.27 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्यों का विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत जिम एवं प्ले इक्यूपमेन्ट की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा जिम एवं प्ले इक्यूपमेन्ट पर पृथक से प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(18) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(19) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 25,87,92,250/- (रूपए पच्चीस करोड़ सत्तासी लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-337/दस-2023-24, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 116/2023/1716(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

5- एयर ऑफिसर कमाण्डिंग, वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।

7- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के सन्दर्भ में।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।